बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14 / 2016– / पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105– बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0106– प्रमाण पत्र पाठ्क्रम" (विपत्र कोड– P 2203001050106) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2740, दिनांक 02.11.2016 सहपठित प्रतिस्थानी आदेश दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की योजनान्तर्गत सृजित पद पर कार्यरत श्री सुशील कुमार मिश्र, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के बकाये वेतन एवं भत्ते तथा कार्यरत शिक्षकों का वित्तीय वर्ष 2016–17 के वेतन एवं भत्ते के भुगतानार्थ कुल रू॰ 25,41,000=00 (पच्चीस लाख इकतालीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्गत आवंटनादेश संख्या–8(आ), दिनांक 16.5.2016 तथा संख्या–62(आ), दिनांक 11.07.2016 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षो में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना को कुल रू॰ 25,41,000=00 (पच्चीस लाख इकतालीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

(राशि रूपये में)

क्र०	विषयशीर्ष	कुल आवंटित राशि
1	01 01 वेतन	16,00,000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	7,00,000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	2,40,000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	1,000
	योगः वेतन एवं भत्ते	**25,41,000**

(क)

(क) पच्चीस लाख इकतालीस हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 / वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

4. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

5. विभिन्न प्राथमिक इकाइयों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित इकाई एवं आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

6. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

7. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आवंटनादेश संख्या–105(आ), दिनांक 17.11.2016 को विलोपित किया जाता है।

9. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰ / –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14 / 2016– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
निदेशक

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14 / 2016– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14 / 2016– 117 आ / पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / योजना सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 13.12.16
निदेशक

13/12/16